जुलाई 2022 के लिए एनआरआई न्यूज बुलेटिन

अंक: 07-2022

एनआरआई और आय कर

क्या एनआरआई (अनिवासी भारतीय) को भारत में अपना आयकर विवरणी(रिटर्न) दाखिल करने की आवश्यकता है, और यदि हां, तो भारत में कौन सी आय, कर के अधीन है? यह एक ऐसा सवाल है जो ज्यादातर एनआरआई (अनिवासी भारतीय) के मन में उठता है।

एक व्यक्ति की निवास स्थिति, भारत में देय आयकर का प्राथमिक निर्धारक होता है और एक व्यक्ति या तो एक निवासी, अनिवासी या एक ऐसा निवासी हो सकता है, किंतु सामान्यत: भारत में निवासी नहीं हो सकता है। भारत में आयकर की देयता उसकी नागरिकता पर निर्भर नहीं है और इसलिए भारत का एक गैर-नागरिक भी, यदि वह भारत में निवासी है तो, भारतीय आयकर के अधीन होगा/होगी।

एक व्यक्ति एक मूल्यांकन वर्ष के लिए अनिवासी बन जाता है, जब वह पिछले वर्ष में उस देश में रहा हो और यदि वह निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता हो:
(I) यदि वह 182 दिनों या उससे अधिक समय से भारत में नहीं रहा हो।
(II) यदि वह वर्ष के दौरान 60 दिनों या उससे अधिक के लिए भारत में रहा हो, किंतु पिछले वर्ष के पूर्व चार वर्षों के दौरान 365 दिनों या उससे अधिक समय तक भारत में नहीं रहा हो।

हालांकि, भारतीय नागरिक और भारतीय मूल के एक व्यक्ति के मामले में, यदि वह वर्ष के दौरान भारत का दौरा करता है, ऊपर (II) में यथा उल्लिखित अनुसार, 60 दिनों की अवधि को 182 दिनों से प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी तरह की रियायत भारत के नागरिक को प्रदान की जाती है जो पिछले किसी भी वर्ष में चालक दल (क्र्यू मेंबर) के सदस्य के रूप में या भारत के बाहर रोज़गार के उद्देश्य से भारत के बाहर जाता है।

मूल्यांकन वर्ष 2021-22 से प्रभावी होते हुए वित्त अधिनियम 2020 में उपरोक्त अपवाद में संशोधन किया गया है जिससे प्रावधान किया जा सके कि ऊपर (II) में यथा उल्लिखित 60 दिनों की अवधि को 120 दिनों से प्रतिस्थापित किया जा सके, यदि किसी भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्ति की कुल आय, विदेशी स्रोतों से आय के अलावा, पिछले वर्ष के दौरान रु.15 लाख से अधिक है।

आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, वित्त वर्ष के दौरान भारत में प्राप्त या प्राप्त समझी गई कुल आय या भारत में उपचित(उपार्जित) या उपचित(उपार्जित) समझी गई आय पर आयकर देय है। इसका मतलब यह है कि केवल एनआरआई के लिए भारत में अर्जित या उपचित(उपार्जित) आय ही आयकर के प्रति देय है जो अनिवासी भारतीय(एनआरआई) की विदेशी आय के प्रति अदा किया जाना है।

अत:, यदि कोई व्यक्ति अनिवासी भारतीय है और उसने भारत में अपने निवेश या अन्य स्रोतों से आय अर्जित या उपचित(उपार्जित) की है, तो उसे भारत में आयकर रिटर्न(विवरणी) दाखिल करने की आवश्यकता है।

एक एनआरआई की आय की श्रेणियां क्या-क्या हैं जो भारत में आयकर के अंतर्गत आती हैं?

- **बैंक खाते और जमाओं से आय:** एक अनिवासी भारतीय के लिए भारत में आयकर की देयता, बैंक खाते और जमा के प्रकार पर अवलंबित है। अनिवासी बाह्य (एनआरई) खातों और जमा पर अर्जित ब्याज, पूरी तरह से भारतीय आयकर से मुक्त

है। विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमा पर अर्जित ब्याज भी भारतीय आयकर से मुक्त है। तथापि, अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाते और जमा कर के अधीन हैं। वर्तमान में स्रोत पर आयकर (टीडीएस) 30% की दर से और अतिरिक्त अधिभार और उपकर की कटौती की जाती है। यदि कोई एनआरआई किसी ऐसे देश का निवासी है जिसके साथ भारत का दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (डीटीएए) है, तो स्रोत पर आयकर की कटौती(टीडीएस) भारत और उस विशिष्ट देश के बीच दोहरा कराधान अपवंचन समझौते(डीटीएए) के अनुसार होगा। अनिवासी भारतीय(एनआरआई) को उस देश के नियामक प्राधिकरण से टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट (कर निवास प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा। एनआरआई को कम टीडीएस का दावा करने के लिए उस देश जहां वह निवास करता/करती है, के नियामक प्राधिकरण से टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट (कर निवास प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना होगा। उदाहरण के लिए यदि अनिवासी भारतीय(एनआरआई) ऑस्ट्रेलिया में निवासी है, तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोहरा कराधान अपवंचन समझौते(डीटीएए) के अनुसार, भारत में अनिवासी भारतीय(एनआरआई) के अनिवासी सामान्य (एनआरओ) जमा या खातों पर आय पर कर (टीडीएस) 15% की दर से और अतिरिक्त अधिभार और उपकर की कटौती की जायेगी बशर्ते कि अनिवासी भारतीय(एनआरआई) द्वारा टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट (कर निवास प्रमाण पत्र) प्रस्तुत किया जाता है। एक अनिवासी भारतीय(एनआरआई) को अपने निवास के देश में आयकर प्रयोज्यता के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि कुछ देशों में वैश्विक आय कर योग्य है। अत:, भले ही अनिवासी बाह्य (एनआरई) या विदेशी मुद्रा अनिवासी(एफसीएनआर) जमा पर ब्याज भारत में आयकर से मुक्त है, जमा पर अर्जित ब्याज की घोषणा उस देश जहां वह निवास करता/करती है, के कर अधिकारियों को की जानी चाहिए और लागू होने वाले कर का भुगतान किया जाना चाहिए।

- **संपत्ति से आय:** अनिवासी भारतीय(एनआरआई) को भारत में किसी अचल संपत्ति की खरीद करने की अनुमति है, सिवाय कृषि/बागान या फार्म हाउस के, और उसे उस अचल संपत्ति को रखने या हस्तांतरित करने की भी अनुमति है जिसे उसने अनिवासी भारतीय(एनआरआई) का दर्जा प्राप्त करने से पहले अर्जित की गई थी या वह उसे निवासी भारतीय से विरासत में मिली हो। एक अनिवासी भारतीय(एनआरआई) आवासीय संपत्ति की खरीद के लिए निवासी भारतीय के लिए उपलब्ध सभी कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र है।

एक एनआरआई आवासीय गृह संपत्ति से पूंजीगत लाभ अर्जित कर सकता है, जैसे एक आवासीय गृह संपत्ति को किराए पर देकर आय अर्जित कर सकता/सकती है।

आइए, अब देखें कि क्या होता है जब कोई अनिवासी भारतीय(एनआरआई) एक आवासीय घर की संपत्ति से पूंजीगत लाभ अर्जित करता/करती है। यदि कोई अनिवासी भारतीय(एनआरआई) आवासीय घर की संपत्ति बेचता/बेचती है, तो पूंजीगत लाभ उत्पन्न होता है (लघु / दीर्घावधि जो संपत्ति धारण की अवधि के आधार पर अवलंबित है), जहां पूंजीगत लाभ कर, लागू अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है। पूंजीगत लाभ बिक्री मूल्य और खरीद की लागत के बीच का अंतर है (खरीद की अनुक्रमित लागत यानी मुद्रास्फीति के प्रति समायोजित खरीद की लागत, अगर संपत्ति रखने की अवधि 36 महीने से अधिक है)। किंतु, अगर संपूर्ण दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ का पुनर्निवेश, बिक्री की तारीख के पूर्व 1 साल के भीतर या बिक्री की तारीख के 2 साल के भीतर किसी अन्य आवासीय गृह संपत्ति में किया जाता है, या हस्तांतरण की तारीख से 3 साल के भीतर आवासीय संपत्ति का निर्माण किया गया है, तो संपूर्ण दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ भारत में आयकर से मुक्त है। यदि पूंजीगत लाभ का पुनर्निवेश, उस वर्ष के आयकर दाखिल करने की नियत तारीख पर या उससे पहले नहीं किया जाता है जिसमें पूंजीगत संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, पूंजीगत लाभ राशि को पूंजीगत लाभ खाता योजना के तहत जमा किया जाना है। यदि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, नई संपत्ति की लागत से अधिक है, तो नई संपत्ति की खरीद/निर्माण लागत से अधिक पूंजीगत लाभ कर योग्य होगा। यदि संपत्ति पुरानी है और उसे खरीद की तारीख से 36 महीने या उससे कम समय के लिए रखी जाती है, तो अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर व प्रयोज्य अधिभार और स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है। अनिवासी भारतीयों को ऐसी बिक्री आय की पुन: प्रयोज्यता के प्रतिबंधों के बारे में भी पता होना चाहिए, जो अधिकतम 2 संपत्तियों तक ही सीमित है। साथ ही, जो राशि प्रत्यावर्तित की जा रही है, वह संपत्ति की खरीद के लिए अदा की गई राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

दूसरी तरह की आय संपत्ति से होती है जब संपत्ति किराए पर दी जाती है। किराये पर दी गई संपत्ति से किराये की आय। अनिवासी भारतीय(एनआरआई) द्वारा अर्जित किराये की आय भारत में कर योग्य है। किराएदार को किराये का भुगतान करते समय स्रोत पर कर की कटौती करनी होती है। अनिवासी भारतीय(एनआरआई) रखरखाव खर्च, मरम्मत आदि के लिए कटौती के लिए पात्र हैं। भुगतान किए गए नगरपालिका/निगम कर के लिए भी छूट उपलब्ध है। अगर संपत्ति आवास ऋण से खरीदी गई है, तो आवास ऋण के प्रति अदा किए गए ब्याज में भी कटौती की जा सकती है। अनिवासी भारतीय(एनआरआई) मूलधन की चुकौती के लिए प्रति वर्ष रु.150000/- तक की कटौती और संपत्ति की खरीद के समय भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क आदि का भी दावा कर सकते हैं। चूंकि, स्रोत पर कर की कटौती की जानी है और वही आय उस देश जहां अनिवासी भारतीय(एनआरआई) निवास करता है, में भी कर के अधीन हो सकती है, अनिवासी भारतीय(एनआरआई), दोहरा कराधान अपवंचन समझौते(डीटीएए) का लाभ उठा सकता है, यदि यह लागू हो, और कम दर पर स्रोत पर आय की कटौती(टीडीएस) का लाभ उठा सकता/सकती है और भारत में अदा किए गए कर की जमा(क्रडिट) का दावा कर सकता/सकती है।

- **शेयरों और म्यूचुअल फंडों से पूंजीगत लाभ**: शेयर, डिबेंचरों, म्यूचुअल फंडों और अन्य प्रतिभूतियों की बिक्री के माध्यम से अर्जित लाभ पर आयकर अधिनियम, 1961 के तहत "पूंजीगत लाभ" के रूप में कर लगाया जाता है।

यदि लाभ किसी कंपनी, इक्विटी या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड के शेयरों से है जो सुरक्षा लेनदेन कर (एसटीटी) के अधीन हैं और 12 महीने से अधिक समय के लिए रखे गये हैं, तो ऐसे लाभ को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में निर्धारित किया जाता है और इस पर भारतीय आयकर से रु.1 लाख की छूट दी जाती है । घरेलू कंपनियों के शेयरों पर प्राप्त लाभांश भारत में पूरी तरह से कर योग्य है। गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों या डेट म्यूचुअल फंड से प्राप्त दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर लागू अधिभार और स्वास्थ्य व शिक्षा उपकर के साथ कर लगाया जाएगा। गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की बिक्री पर किसी भी लाभ/हानि को दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ/हानि के रूप में माना जाएगा यदि होल्डिंग की अवधि 24 महीने से अधिक है। यदि इन्हें 12/24 महीने या उससे कम (जैसा भी मामला हो) के लिए रखा जाता है, तो ऐसे लाभ को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कहा जाता है और अनिवासी भारतीय(एनआरआई) की कुल आय पर लागू कर की सामान्य दरों पर कर लगाया जाता है। सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों या इक्विटी उन्मुख फंड की यूनिट की बिक्री के कारण अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के मामले में, जो प्रतिभूति लेनदेन कर(एसटीटी) के अधीन है, कर की दर लागू होती है।

- **वेतन**: यदि अनिवासी भारतीय(एनआरआई) या अनिवासी भारतीय(एनआरआई) की ओर से किसी को भारत में वेतन आय प्राप्त होती है, तो अनिवासी भारतीय(एनआरआई) को भुगतान किया गया वेतन कर योग्य है। किसी भारतीय खाते में भारत में भुगतान किए गए वेतन को भारत में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भुगतान किए गए वेतन के रूप में माना जाएगा। अत:, इस तरह के वेतन के भुगतान पर यथा लागू टैक्स स्लैब पर कराधान होगा।

➢ **1 मिलियन अमरीकी डालर (या अन्य मुद्राओं में इसके बराबर) से कम की <u>एफसीएनआर [बी]</u> जमा पर 13.07.2022 से संशोधित ब्याज दरें इस प्रकार हैं:** **[ब्याज दर प्रतिशत प्रति वर्ष]**

जमा की अवधि	जमा की मुद्रा				
	यूएसडी	जीबीपी	ईयूआर	सीएडी	एयूडी
1 वर्ष व इससे अधिक लेकिन 2 वर्ष से कम	**3.00**	2.40	0.06	1.61	1.55
2 वर्ष व इससे अधिक लेकिन 3 वर्ष से कम	2.72	2.76	0.11	2.66	2.05
3 वर्ष व इससे अधिक किंतु 4 वर्ष से कम	2.80	2.88	0.11	2.76	2.25
4 वर्ष व इससे अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	2.91	2.89	0.20	2.81	2.50
केवल 5 वर्ष	3.00	2.86	0.25	2.81	2.65

➢ <u>एनआरई सावधि जमा</u> पर ब्याज दरें (16.07.2022 से):

[ब्याज दर प्रतिशत प्रति वर्ष]

स्लैब	जमा की अवधि	ब्याज दर *	
		रु.2 करोड़ से कम	रु.2 करोड़ और 10 करोड़ से कम
स्लैब -1	केवल 1 वर्ष	5.30	**6.00**
स्लैब -2	1 वर्ष से अधिक किंतु 2 वर्ष से कम	**6.00**	**6.00**
स्लैब -3	2 वर्ष और उससे अधिक किंतु 3 वर्ष से कम	5.45	**6.00**
स्लैब -4	3 वर्ष और उससे अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	5.70	**6.00**
स्लैब -5	5 वर्ष और उससे अधिक और 10 वर्ष तक	5.75	3.40

➢ <u>1 मिलियन अमरीकी डालर (या अन्य मुद्राओं में इसके बराबर)</u> से कम की आरएफसी मीयादी जमा और आरएफसी बचत बैंक जमा पर 13.07.2022 से संशोधित ब्याज दरें इस प्रकार हैं:

[ब्याज दर प्रतिशत प्रति वर्ष]

जमा की अवधि	जमा की मुद्रा				
	यूएसडी	जीबीपी	ईयूआर	सीएडी	एयूडी
बचत बैंक	**0.30**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1 माह व इससे अधिक किंतु 3 महीने से कम	1.57	1.06	शून्य	1.65	1.23
3 महीने व इससे अधिक किंतु 6 महीने से कम	2.05	1.42	शून्य	2.05	1.76
6 महीने व इससे अधिक किंत 1 वर्ष से कम	2.80	1.96	0.03	2.71	2.48
1 वर्ष व इससे अधिक किंत 2 वर्ष से कम	2.30	2.40	0.06	1.61	1.55
2 वर्ष व इससे अधिक किंत 3 वर्ष से कम	2.72	2.76	0.11	2.66	2.05
केवल 3 वर्ष	2.80	2.88	0.11	2.76	2.25

➢ <u>घरेलू और एनआरओ सावधि जमा</u> पर लागू संशोधित ब्याज दरें (16.07.2022 से):

[ब्याज दर प्रतिशत प्रति वर्ष]

स्लैब	जमा की अवधि	ब्याज दर *			
		रु.2 करोड़ से कम		रु.2 करोड़ और 10 करोड़ से कम	
		सामान्य	वरिष्ठ नागरिक	प्रतिदेय (कॉलेबल)	गैर -प्रतिदेय (नॉन-कॉलेबल)
1	7 दिन से 45 दिन तक	2.90	2.90	2.90	लागू नहीं
2	46 दिन से 90 दिन तक	4.00	4.00	3.10	3.10
3	91 दिन से 179 दिन तक	4.05	4.05	3.35	3.35
4	180 दिन से 269 दिन से कम	4.50	5.00	3.35	3.35
5	270 दिन से 1 वर्ष से कम	4.55	5.05	3.35	3.35
6	333 दिन (30.09.2022 तक वैध)	5.10	5.60		
7	केवल 1 वर्ष	5.30	5.80	**6.00**	**6.05**

8	1 वर्ष से अधिक किंतु 2 वर्ष से कम	5.40	5.90	**6.00**	**6.05**
9	2 वर्ष और उससे अधिक किंतु 3 वर्ष से कम	5.45	5.95	**6.00**	**6.05**
10	3 वर्ष और उससे अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	5.70	6.20	**6.00**	**6.05**
11	5 वर्ष और उससे अधिक और 10 वर्ष तक	5.75	6.25	3.40	लागू नहीं

हम एक संपर्क बिंदु के रूप में आपकी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई सेवाएं प्रदान करते हैं। विभिन्न निवेश सुविधाओं/बीमा/म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए, कृपया निम्नलिखित लिंक देखें:

जीवन बीमा: https://canarabank.com/insurance/index.html

स्वास्थ्य बीमा: https://canarabank.com/User_page.aspx?menulevel=1&menuid=3&CatID=45

साधारण बीमा: https://canarabank.com/User_page.aspx?menulevel=1&menuid=3&CatID=44

म्युचुअल फंड्स: https://canarabank.com/User_page.aspx?menulevel=1&menuid=2&CatID=4

डिपॉजिटरी सेवाएं: https://canarabank.com/User_page.aspx?menulevel=1&menuid=2&CatID=20

विप्रेषण सुविधाएं: https://canarabank.com/User_page.aspx?menulevel=1&menuid=2&CatID=22

निवेश सुविधाएं: https://canarabank.com/User_page.aspx?menulevel=1&menuid=2&CatID=23

समर्पित एनआरआई हेल्प डेस्क (यदि भारत के बाहर से कॉल कर रहे हैं): 080-22064232 (24 x 7).

canarabank   CanaraBankOfficial   canarabank   canarabankinsta